दूरभाष-23793521
फैक्स-23793521

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं0- 19011/25/ 2020/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि/ 431-440 दिनांक: 05/08/2020

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषय:- संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्यम /संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), **संयुक्त/उप/सहायक निदेशक** (राजभाषा)/ **हिंदी अधिकारियों के लिए** 05 **पूर्ण कार्य दिवसीय ऑनलाइन अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष** -2020

महोदय/महोदया,

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपाय के अंतर्गत तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में राजभाषा अधिकारी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के हिंदी अधिकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभिमुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1999 से 2020 तक कुल 59 (उनसठ) अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

यह देखा गया है कि उक्त कार्यक्रम के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक, व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से इसमें शामिल नहीं होते, साथ ही अभी भी ऐसे अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित नहीं किया गया है। इसलिए वर्ष 2020 में भी दो अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे जिनमें से 01 कार्यक्रम दिनांक 16.03.2020 से 20.03.2020 को आयोजित किया जा चुका है। कोरोना वायरस के कारण दिनांक 05.10.2020 से 09.10.2020 के कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत राजभाषा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
1.	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्यतन जानकारी देना। राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना। राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना।	05.10.2020 से 09.10.2020 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/ सहा.प्रबंधक(रा.भा.)	भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/उपक्रम/निगम/ निकाय/बीमा कंपनी/ लोक-उद्यम आदि ।

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक 'I' में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा भिजवाएं, ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।
- कार्यक्रम का समय सुबह **10.00** बजे से सायं **17.00** बजे तक निर्धारित है ।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों को नामित किया जाए उनके मोबाइल व्हाट्सएप नंबर तथा ई-मेल अवश्य भेजे जाएं।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- **प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक श्रीमती समीर**

त्रिखा से दूरभाष सं.011-23793521 **या मोबाइल नं. 9729177268 पर संपर्क करें।**

भवदीया,

Sumanlal 5.8.2020

(सुमन लाल)

निदेशक(प्रभारी)

पृष्ठांकन सं.19011/25/2020-केंहिंप्रसं/अल्प.ग.प्रशि./431-440 दिनांक: 05/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी **-II** भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी **-II** भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूरु।

5.8.2020

(सुमन लाल)

निदेशक (प्रभारी)

अनुलग्नक -I

नामांकन प्रपत्र

अधिकारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय/ मोबा	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता...

दूरभाष सं......................मोबाइल नं..............................फैक्स नं. ....

ई मेल आई डी ....

अनुलग्नक - II

संपर्क सूत्र

1.	2.
निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,सी.जी.ओ.परिसर लोदी रोड, नई दिल्ली -110003 दूरभाष-011-24361852 फैक्स-011-24361852 ई-मेल - dirchti-dol@nic.in	प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली-110011 दूरभाष-011-23793521, मो.9729177268 फैक्स-011-23793521 ई-मेल chti1182@nic.in